

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 8/2020 (Bank Case)

बैंक ऑफ बडौदा शाखा- स्टेशन रोड, कोटा (राज०) जरिये प्राधिकृत अधिकारी

- प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री राजकुमार जाडिया पुत्र श्री नन्दलाल जाडिया
पता-151, यादव मौहल्ला, वार्ड नं० 50, गुरुद्वारा के पास, सरकारी नाल के पास, गुमानपुरा, कोटा, राजस्थान
2. श्रीमती गीता देवी जाडिया पत्नी श्री राजकुमार जाडिया
पता-151, यादव मौहल्ला, वार्ड नं० 50, गुरुद्वारा के पास, सरकारी नाल के पास, गुमानपुरा, कोटा, राजस्थान
3. श्री हरीश कुमार जाडिया पुत्र श्री राजकुमार जाडिया (गारन्टर)
पता-151, यादव मौहल्ला, वार्ड नं० 50, गुरुद्वारा के पास, सरकारी नाल के पास, गुमानपुरा, कोटा, राजस्थान

- अप्रार्थीगण/ऋणी



प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002


उपस्थित

श्री अविनाश ठाकुर, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 21.01.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि बैंक ऑफ बडौदा शाखा-स्टेशन रोड, कोटा (राज०) से अप्रार्थीगण ने दिनांक 27.04.2015 को ऋण खाता संख्या 42660600000265 में रूपये 22,80,000/- (अक्षरे: रूपये बाईस लाख अस्सी हजार मात्र) एवं ऋण खाता संख्या 42660600000274 में रूपये 35,00,000/- (अक्षरे: रूपये पैंतीस लाख मात्र) कुल रूपये 57,80,000/- (अक्षरे: रूपये सत्तावन लाख अस्सी हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति श्री राजकुमार जाडिया पुत्र श्री नन्दलाल जाडिया की 151, यादव मौहल्ला, वार्ड नं० 50, गुरुद्वारा के पास, सरकारी नाल के पास, गुमानपुरा, कोटा (राज०) स्थित सम्पत्ति जिसका पट्टा विलेख स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत नगर निगम कोटा द्वारा जारीसुदा है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 23.08.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खातों मे 49,48,080/- (अक्षरे रूपये उन्नचास लाख अडतालीस हजार अस्सी मात्र) बकाया रकम दिनांक 25.08.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज



जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)


व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 04.09.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, जिसकी तामील अप्रार्थीगण को व्यक्तिगत करवा दी गई, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 04.09.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, जिसकी तामील अप्रार्थीगण को व्यक्तिगत करवा दी गई, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 04.09.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, जिसकी तामील अप्रार्थीगण को व्यक्तिगत करवा दी गई, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता अचल सम्पत्ति श्री राजकुमार जाडिया पुत्र श्री नन्दलाल जाडिया की 151, यादव मौहल्ला, वार्ड नं0 50, गुरुद्वारा के पास, सरकारी जिले के पास, गुमानपुरा, कोटा (राज0) स्थित सम्पत्ति जिसका पट्टा विलेख स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत नगर निगम कोटा द्वारा जारीसुदा है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 21.01.2020 को सुनाया गया।




(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा